

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 3 मार्च, 2004 (फाल्गुन 13, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

- (1) श्री एस.बी.चह्वाण, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (2) डॉ. गोवर्धन शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा; तथा
- (3) श्री छोटेलाल उड्के, भूतपूर्व सदस्य विधानसभा.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (2) (ख) की अपेक्षानुसार नर्यदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगी.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम बढ़ोरा में असामाजिक तत्वों द्वारा नागरिकों के साथ मारपीट कर मकानों में आग लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (2) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, हरदा जिले के टिमरनी नगर पंचायत अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

समय

- (1) श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004) के पुरास्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरास्थापित करेंगे.

2 घन्टे

- (2) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौवंश वथ प्रतिषेध विधेयक, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

2 घन्टे

7. वर्ष 2004-2005 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा

8. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 2 मार्च, 2004

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.